FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Service Appeal No.- 15/2024]

Sarswati Kumari .. ..Appeallant/Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Anr. ………….…........................Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.8.2025	**आदेश** यह अपील वाद जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में उप विकास आयुक्त -सह- उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-58/एस.बी.एम.(ग्रा.) दिनांक-10.5.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। दिनांक-19.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Written Statement में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Written Statement आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-58/एस.बी.एम.(ग्रा.) दिनांक-10.5.2024 द्वारा अपीलार्थी सरस्वती कुमारी, कार्यपालक सहायक, बी.कोठी. की सेवा समाप्त करते हुए अनुबंध रद्द करने का आदेश निर्गत किया गया। अपीलाधीन आदेश के अनुसार कार्य में लापरवाही बरतने, शौचालय योजना के MIS में गलत इन्ट्री करने तथा कर्तव्यहीनता आदि आरोपों के आधार पर सेवा समाप्त किया गया है। आरोप के बिन्दुओं पर दिनांक-19.8.2025 के अंतिम बहस में विस्तृत सुनवाई की गई। विपक्षी उप विकास आयुक्त की ओर से सुनवाई में अपीलार्थी के विरुद्ध लाये गये आरोपों के संदर्भ में अकाट्य साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य भी उपस्थापित किया गया है कि एक ही लॉगिन ID से प्रखंड कार्यालय के सभी 16 Executive Assistant द्वारा इन्ट्री किया जाता था। तथा गलत इन्ट्री के लिए मात्र उनके उपर कार्रवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी के इस अभिकथन के संदर्भ में विपक्षी उप विकास आयुक्त की ओर से अकाट्य साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। विपक्षी उप विकास आयुक्त, पूर्णिया के जवाब के पारा-8 में संदर्भित ज्ञापांक-812, दिनांक-26.6.2019 में अपीलार्थी सरस्वती कुमारी का नाम अंकित नहीं है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर गलत इन्ट्री के लिए अपीलार्थी को जिम्मेवार मानने का समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला, Doubtful Integrity, सरकार के विरूद्ध कार्यकलाप, वित्तीय अनियमितता आदि का गंभीर आरोप प्रमाणित नहीं होता है। MIS में गलत Data Entry का आरोप अधिकतम कार्य में अपेक्षित सतर्कता के अभाव को इंगित करता है। आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के सापेक्ष Excessive दण्ड (सेवा समाप्त करने का) अधिरोपित किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त Findings के आधार पर उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पूर्णिया के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए सरस्वती कुमारी, कार्यपालक सहायक, बी.कोठी को Reinstate किया जाता है। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की तिथि दिनांक 10.5.2024 से अद्यतन योगदान देने की तिथि तक का मानदेय अथवा अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें। 30/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। 30/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया